तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	अहकामजो की तामीलमेंजा
15/11/17	वकील प्रतिवादीगण हाजिर। बहस एकपक्षीय वकील वादी अनु० सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 13/12/17 को पेश हो। Sd/-	
13/12/17	वकील प्रति० सं. 3 उप०। हस्ब[?] वादीया डिक्री किया जाता है, एवं प्रतिवादी सं. 3 का काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान[?] से कम हो। Sd/-	

Scanned by CamScanner

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

व इजलास– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

उनवान

मु0 भौरी बेवा हीरया जाति कुम्हार निवासी जाखौदा (रानीपुरा) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

बनाम —वादीया

1. भौदू पुत्र उंकारया । जाति कुम्हारान निवासी जाखौदा (रानीपुरा) तह0
2. जौहरी बाई पुत्री उंकारया । सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
3. कमोदीलाल पुत्र हजारी जाति कुम्हार निवासी जाखौदा मजरा रानीपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा (सब रजिस्ट्रार तहसीलदार तहसील सपोटरा)

—प्रतिवादीगण

दावा बाबतः– घोषणा खातेदारी, दुरस्ती इन्द्राज, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व किये जाने शून्य एवइनिशियों वोईड विकय पत्र दिनांक 24.05.07 अन्तर्गत धारा 88,188,207,53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बरः– 44/07

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कअई रूबरू हमारे व हाजिरी ..... मिनजानिब मुद्दई श्री धीरेन्द्रपालसिह वकील प्रति0 सं0 3 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म किया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–दावा वादीया डिकी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 3 आंशिक रूप से स्वीकार निम्नानुसार किया जाता हैः–

1. विवादित आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 715 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 718 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 02 बीधा 11 बिस्वा की 1/2 हिस्से की वादिया भौरी बेवा हीरया जाति कुम्हार निवासी जाखौदा (रानीपुरा) तहसील सपोटरा को खातेदार घोषित किया जाता हैं।
2. विवादित आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 19 बिस्वा में प्रतिवादी नम्बर 03 कमोदीलाल पुत्र हजारी जाति कुम्हार निवासी जाखौदा मजरा रानीपुरा तहसील सपोटरा को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं।
3. विवादित आराजी खसरा नम्बर 715 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 718 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का प्रतिवादी नम्बर 01 भौदू पुत्र उंकारया जाति कुम्हार निवासी जाखौदा को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं ।
4. वादीया व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार एक दूसरे के हिस्से मे काश्त करने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना तो स्वयं करे और ना ही किसी दीगर से करावे।

निज.....मुबलिग.....बाबत्.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का ..... अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.12.2017 को जारी की गई

(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मुहर

मुद्दई		मुद्दायलह	
	रूपया		रूपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टॉम्प वकालतनामा 3. स्टॉम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहान 6. फीस कमीश्नर 7. बबत् इजराय हुक्मनामा 8. मुतफर्रिक मीजान		1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टॉम्प अर्जी 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहान 5. फीस कमीश्नर 6. बबत् इजराय हुक्मनामा 7. मुतफर्रिक मीजान	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
44/07	दावा	26.06.2007	13.12.2017

मु0 भौरी बेवा हीरया जाति कुम्हार निवासी जाखौदा (रानीपुरा) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

बनाम

–वादीया

1. भौंदू पुत्र उंकारया । जाति कुम्हारान निवासी जाखौदा (रानीपुरा) तह0
2. जौहरी बाई पुत्री उंकारया । सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
3. कमोदीलाल पुत्र हजारी जाति कुम्हार निवासी जाखौदा मजरा रानीपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा (सब रजिस्ट्रार तहसीलदार तहसील सपोटरा)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुस्ती इन्द्राज, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व किये जाने शून्य एवइनिशियों वोईड विकय पत्र दि0 24.05.07 अन्तर्गत धारा 88,188,207,53 राज0टी0एक्ट

उपस्थितः– श्री धीरेन्द्रपालसिह एड0 वकील प्रतिवादी सं0 3

संक्षेप में वाद तथ्य वादीया इस प्रकार से है कि वादीया ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि वादीया गांव जाखोदा (रानीपुरा) तहसील सपोटरा की मूल निवासी है तथाव वादीया का पति फौत हो चुका है। वादीया ही मात्र अकेली अपने पति की वारिसान है। वादीया के अलावा कोई दीगर व्यक्ति वादीया के पति का वारिसान नही है। वाद पत्र मे दर्ज पारिवारिक सजरा के अनुसार वादीया का ससुर उंकारया पुत्र सोन्या कुम्हार था जिसके दो पुत्र हीरया व भोन्दू एवं एक पुत्री जौहरी बाई थे। हीरया नाऔलाद फौत हुआ जिसकी वादीया विधवा पत्नि एक मात्र वारिस है। वादीया के ससुर उंकारया की फौत के बाद उंकारया के वारिसान हीरया व भोंदू के नाम नामान्तरकरण संवत् 2042 से 2045 मे खुलकर तस्दीक हो चुका है जिसमे प्रतिवादीया सं0 02 जौहरीबाई का नाम नही आया है एवं जौहरीबाई ने कोई दावे आदि कर उक्त वादीया के ससुर की पैतृक सम्पति मे कोई हिस्सा भी नही मांगा है। उंकारया की खातेदारी की भूमि अब मौके पर वादीया व प्रतिवादी सं0 1 के कब्जे मे है। अन्य का उक्त भूमि से कोई वास्ता नही है। वादीया की पैतृक भूमि हाल खसरा नं0 66 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं0 82 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 715 रकबा 17 बिस्वा व खसरा नं0 718 रकबा 15 बिस्वा किता 4 वाके ग्राम जाखौदा (रानीपुरा) तहसील सपोटरा मे स्थित है जिसको वादीया व भोन्दू काश्त करते चले आ रहे है। वादीया के पति हीरया के फोत होने के बाद दिनांक 11.01.2007 को प्रतिवादी नं0 3 ने हलका पटवारी, सरपंच व गिरदावर से मिलकर वादीया को फोत बतलाकर उंकारया के वारिसान का सजरा बनाकर अवैध रूप से बिना वादीया को सूचना दिये एक नामान्तरकरण सं0 624 दिनांक 11.01.07 को तस्दीक कराया जिसमे वादीया को फोत बतलाकर वादीया के स्थान पर वादीया की नणद प्रतिवादीया नं0 2 का नाम दर्ज कर हाल रिकार्ड मे प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम फर्जी रूप से नामान्तरकरण तस्दीक कर हाल रिकार्ड मे परिवर्तन कर दिया। जबकि मृतक हीरया के स्थान पर हाल नामान्तरकरण वादीया मु0 भौरी विधवा पत्नि हीरया के नाम नामान्तरकरण खुलकर हाल रिकार्ड मे दर्ज होना आवश्यक था। प्रतिवादी सं0 3 चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा रिकार्ड मे हेराफेरी कराकर जमीन छीनने का आदि है। उक्त नामान्तरकरण से वादीया के अधिकारों पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। नामान्तरकरण सं0 624 दिनांक 11.01.2017 शून्य व एवइनिशियों वोईड है इस कारण निरस्त होने योग्य है। उक्त फर्जी नामान्तरकरण के आधार पर प्रति0 सं0 2 व 3 को उक्त भूमि मे किसी प्रकार के कोई अधिकारी प्राप्त नही होते है। प्रतिवादी नं0 3 ने प्रतिवादी नं0 1 व 2 को नामा0 खुलवाने के बहाने भारी प्रलोभन देकर बिना कोई विकय की राशि दिये दिनांक 24.05.2007 को फर्जी विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार सपोटरा से तस्दीक करा लिया जो शून्य एवं एवइनिशियों वोईड है। इसलिए वादीया ने विवादित

Scanned by CamScanner

आराजीयात के हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने, बंटवारा कराये जाने, नामान्तरकरण सं0 624 दिनांक 11.01.2007 को शून्य व इनिशियों वोईड व प्रभावहीन मानकर निरस्त किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीया दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उपस्थित होकर अपना इकबालिया जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 ने जरिये वकील अपना जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वादीया ने झूंठे एवं मनगढन्त तथ्यों पर दावा पेश किया है विवादग्रस्त आराजी वादीया के कब्जे काश्त मे नही रही ना ही दायरी दावे के समय रही। दावा वादीया खारिज होनो योग्य है। वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 बडे ही चालाक एवं बेईमान किस्त के व्यक्ति है। वादीया ने वाद पत्र के मद नं0 3 जो खसरा नं0 पैतृक आराजी की बाबत बतायें है वो पूरे नही बताकर केवल खाता सं0 252 के बताये है जबकि खाता सं0 249 व 253 और है जो कि पूर्व मे उंकारया पुत्र सोन्या कुम्हार की थी। विवादित आराजीयात मे से प्रतिवादी सं0 3 ने दिनांक 24.05.07 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खसरा नं0 66 व 82 कुल रकबा 19 बिस्वा प्रतिफल के मुबलिग रूपये 50000/– प्रतिवादी सं0 1 व 2 जो राजस्व रिकार्ड अनुसार कानूनन विक्रय करने मे सक्षम थे, से उक्त आराजी क्रय की। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 3 सद्भावी केता बना उसके उपरान्त क्रयशुदा आराजी पर कब्जा प्राप्त किया। इस प्रकार आराजी खसरा नं0 66 व 82 प्रतिवादी सं0 3 के स्वामित्व व आधिपत्य मे चली आ रही है। वादीया प्रतिवादी सं0 1 व 2 के भाई की बेवा है जो कि शादी के बाद कभी भी ग्राम रानीपुरा (जाखोदा) मे नही रही बल्कि अपने पीहर आडाडूंगर मे रह रही है। वहीं उसने पिता का नाम का उपयोंग करके वोटरलिस्ट मे अपना नाम दर्ज करवा रखा है तथा फोटो पहचान पत्र बनवा रखा है। वादीया व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने साजकर नामान्तरकरण की अपील उनवानी भौंरी बनाम ग्राम पंचायत जाखोंदा श्रीमान्जी के यहां दिनांक 11.6.07 को पेश की जिसमे मुझ प्रतिवादी सं0 3 को पक्षकार नही बनाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त का उल्लंघन किया है। वादीया व प्रतिवादी सं0 1 साज कर इस नामान्तरकरण को अपने नाम खुलाकर जो आराजी मुझ प्रति0 सं0 3 को बेचान की है उस पर काबिज होना चाहते है। इस उद्देश्य से वादीया ने झूंठा दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.5.2007 शून्य व एविनिशियों वोईड नही है बल्कि वैध है व बेचान करने वाले पक्षकार विक्रय करने मे पूर्ण रूप से मुताबिक कानून सक्षम है। तथा उक्त विक्रय पत्र को केन्सिल करने को केवल सिविल न्यायालय ही सक्षम है श्रीमान्जी को उक्त विक्रय पत्र के बाबत् सुनवाई करने का अधिकार नही है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अर्न्तगत वाद आता है जिससे वाद खारिज होने योग्य है। अतः जवाब दावा को स्वीकार फरमाते हुए काउन्टर क्लेम प्रतिवादी 3 को स्वीकार फरमाते हुए वादीया व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे।

वादीया ने प्रतिवादी सं0 3 के काउन्टर क्लेम का जवाबुल जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रतिवादी नं0 3 चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने बिना राशि दिये अपने पक्ष मे फर्जी विक्रय पत्र करवाया है एवं वादीया वृद्व महिला होने का फायदा उठाकर भोंदू व जोहरी को प्रलोभन देकर बिना पैसे दिये अपने हक विक्रय पत्र करवा लिया जबकि प्रतिवादी नं0 3 को उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है इसलिए काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 3 खारिज किया जाकर दावा वादीया डिक्री किया जावे।

वाद तथ्य, जवाबदावा, काउन्टर क्लेम एवं पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर किता 7 तनकीयात कायम की गई। जो निम्नानुसार हैः–

1. आया वादीया वाद मे वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से को अपने नाम खातेदारी कराने, बंटवारा कराने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है ? –वादीया
2. आया विवादित आराजी के सम्बन्ध मे तस्दीकशुदा नामान्तरकरण सं0 624 दिनांक 11.01.2007 शून्य एवं प्रभावहीन होने कारण प्रतिवादी से0 3 के हक मे दिनांक 24.05.2007 को किया गया विक्रय पत्र अवैध एवं प्रभावहीन है ? –वादीया
3. आया दावा वादीया डिक्री फरमाया दिया जावे। डिक्री किये जाने मे प्रतिवादी सं0 1 व 2 को कोई आपत्ति नही है ? –प्रतिवादी सं0 1 व 2
4. आया वादीया ने झूंठे एवं मनगढन्त तथ्यों पर दावा पेश किया है, विवादित आराजी वादीया के कब्जे काश्त मे नही रही ना ही दायरी दावे के समय रही, दावा वादीया खारिज होने योग्य है ? –प्रतिवादी सं0 3

Scanned by CamScanner

. आया विक्रय पत्र को अवैध व प्रभाव शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को
. अतः दावा वादीया खारिज होने योग्य है ? —प्रतिवादी सं0 3
. आया आराजी विवादित को प्रतिवादी सं0 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है।
तिवादी नं0 3 वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने
का अधिकारी है ? —प्रतिवादी सं0 3
. आया प्रतिवादी सं0 3 द्वारा काउन्टर क्लेम मे मनगढन्त व झूंठे तथ्य दर्ज किये है जिनका
दावे से कोई सम्बन्ध नही है, अतः काउन्टर क्लेम प्रति0 सं0 3 खारिज योग्य है ? —वादीया
3. अनुतोषः—

वकील वादीया ने साक्ष्य मे वादीया भौंरी, उंकारया, प्रभू एवं बजरंगा के शपथ पत्र पेश किये, वादीया एवं वादीया के गवाह को कई अवसर दिये जाने पर भी उपस्थित नही आने पर उनकी जिरह बंद की गई। वादीया ने दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी ग्रम जाखोदा सम्बत् 2062–65, सत्य प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 24.5.07, नकल नामान्तरकरण सं0 624 दिनांक 11.01.07, नकल जमाबंदी सं0 2042–45 की फोटोप्रति, नकल सत्य प्रतिलिपि एफआईआर नं0 113/7 थाना सपोटरा, नकल निर्णय अपील उनवानी भौंरी बनाम ग्रम पंचायत जाखोदा नामा0सं0 624 निर्णय दिनांक 1.8.07, नकल निर्णय अपील संभागीय आयुक्त भरतपुर दिनांक 28.05.08, नकल अपील भौरी बनाम सरपंच जाखोदा निर्णय दिनांक 09.07.09, नकल नामा0 सं0 569, सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, असल पेंशन पर्ची, राशन कार्ड फोटोप्रति एवं परिचय पत्र फोटो प्रति पेश किये है। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य मे प्रतिवादी सं0 3 कमोदीलाल एवं गवाह राजूलाल के शपथ पत्र पेश किये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा 23/07 उनवानी कमोदीलाल बनाम हरि वगैरहा प्रदर्श डी1, नकल इस्तगासा आदेशिका भोंदू बनाम कमोदी वगै0 प्रदर्श डी2, नकल इस्तगासा भोंदू बनाम कमोदी वगै0 प्रदर्श डी3, नकल अपील नामा0 सं0 02/07 उनवानी भौरी बनाम ग्रम पंचायत जाखोदा प्रदर्श डी4, निर्णय दिनांक 1.08.07 अपील भौरी बनाम ग्राम पं0 जाखोदा प्रदर्श डी5, अपील नामा0 सं0 624 दिनांक 11.1.07 भौरी बनाम ग्रा0पं0 जाखोदा प्रदर्श डी6, निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर उनवानी कमोदी लाल बनाम भोंन्दू वगै0 की नकल प्रदर्श डी7, स्टे आदेशिका माननीय राजस्व मण्डल अजमेर उनवानी कमोदी लाल बनाम भोंन्दू वगै0 की नकल प्रदर्श डी8, नकल जमाबंदी ग्राम जाखोदा सं0 2062–65 प्रदर्श डी9, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नकल प्रदर्श डी9, पंचायत मतदाता सूची गांव अमरवाड़ 2004 प्रदर्श डी10, पंचायत मतदाता सूची ग्राम जाखोदा 2004 प्रदर्श डी11, दावा आदेशिका उनवानी भौरी बनाम भोंदू की नकल प्रदर्श डी 12, दावा भौरी बनाम भौंदू प्रदर्श डी 13, माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश का निर्णय दिनांक 20.7.2013 की नकल प्रदर्श डी 14, इसमे भौरीबाई के बयान की नकल प्रदर्श डी 15 एवं भोंदू के बयान की नकल प्रदर्श डी16, अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय एसीजेजेएम करौली प्रदर्श डी17 पेश किये है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा, जवाबदावा, काउन्टर क्लेम, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनुसार तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार हैः—

तनकी नम्बर 1 :—

A. विवादित नामान्तकरण संख्या 624 ग्राम जाखौदा के सजरे में हीरया को लाऔलाद फौत बताया गया हैं, इससे यह जाहिर होता है कि हीरया कुँआरा फौत नहीं होकर शादी के बाद लाऔलाद फौत हुआ हैं।

B. पत्रावली मे सलंग्न दो पंच नामों में भी यह उल्लेख किया गया है कि हीरया की शादी भौरी से हुई थी। अतः इन पंच नामों के अनुसार भौरी हीरया की विधिक पत्नि थी तथा इनके बीच में हीरया की मृत्यु तक कोई कानूनी तलाक की डिक्री नहीं हुई थी जहॉ तक निवास करने का प्रश्न हैं इस सम्बन्ध मे कानूनी प्रावधान स्पष्ट है कि मात्र साथ नहीं रहने या अलग–अलग स्थानों पर रहने से शादी का बन्धन समाप्त नहीं माना जा सकता हैं।

C. विवादित नामान्तकरण संख्या 624 ग्राम जाखौदा की अपील 02/07 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01/08/2007 व इसकी अपील में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.5.2008 मे भी दोनों न्यायालयों ने वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व प्रतिवादी संख्या 01,02 की स्वंय की स्वीकारोक्ति के अनुसार भौरी

Scanned by CamScanner

को हीरया की विधवा पत्नि माना हैं।

D. पत्रावली में सलंग्न उंकारया पुत्र मांग्या जाति कुम्हार निवासी डूंडीपुरा तहसील सपोटरा प्रभू पुत्र मिश्रया जाति कुम्हार निवासी रानीपुरा (जाखौदा) तहसील सपोटरा व बजरंगा पुत्र धन्या जाति कुम्हार निवासी रानीपुरा (जाखौदा) तहसील सपोटरा के बयानों मे भी उन्होने यह अंकित किया है कि हीरया का विवाह भौरी के साथ हुआ था तथा वर्तमान में भौरी ही हीरया की विधवा पत्नि हैं तथा एक मात्र वारिस हैं।

E. प्रतिवादी संख्या 01,02 ने अपने जबाब दावे में यह अंकित किया है कि भौरी हमारे भाई हीरया की विधवा पत्नि हैं तथा इसके अलावा हीरया का कोई वारिस नहीं हैं। दावे में की गई मॉग अनुसार डिक्री की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं ।

F. प्रतिवादी नं0 03 कमोदी लाल ने भी अपने जबाब दावे व काउन्टर क्लेम में यह स्वीकार किया है कि भौरी हीरया की बेवा है ।

G. पत्रावली में सलंग्न नामान्तकरण संख्या 569 ग्राम बैरूण्डा तहसील सपोटरा दिनांक 14.09.2009 से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण खसरा नम्बर 785 रकबा 04 बीघा 11 विस्वा में 1/2 हिस्से का खातेदार उंकारया पुत्र सोम्या जाति कुम्हार निवासी जाखौदा की विरासत का खोला गया था जिसमें उंकारया के स्थान पर उनके वारिसों का नाम भौंदू पुत्र उंकारया, भौरी बेवा हीरया, जौहरी बाई पुत्री उंकारया दर्ज किया है तथा इस नामान्तकरण पर अंकित सजरे में भौरी को हीरया की बेवा व उंकारया की पुत्रवधु दर्शाया गया हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि हीरया की शादी भौरी से हुई थी तथा हीरया की मृत्यु के समय भौरी ही उसकी पत्नि थी। हीरया और भौरी के कोई औलाद पैदा नहीं हुई। अतः हीरया की मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार हीरया की बेवा भौरी ही उसकी एक मात्र वारिस हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी हिन्दू पुरूष की अचल सम्पत्ति में उसकी मृत्यु के पश्चात् पुत्र, पुत्री व पत्नि का बराबर का अधिकार होता हैं। अतः उपरोक्त मामले मे विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार भौरी का पति हीरया पुत्र उकारया जमाबन्दी में दर्ज था। अतः उसकी मृत्यु के पश्चात् विरासत का खोला गया नामान्तरकरण सं0 624 में हीरया की भूमि हीरया के स्थान पर एक मात्र वारिस विधवा पत्नि भौरी के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी जिसको दर्ज नहीं किया जाकर ग्राम पंचायत ने कानूनी भूल की है। अतः उक्त नामान्तरकरण कानून के विरूद्ध होने के कारण शुरू से ही नल एण्ड वाईड है। अतः विवादित आराजीयात मे वादिया अपने पति के हिस्से तक (1/2 हिस्से पर) अपने नाम घोषणा खातेदारी कराने, बटॅवारा कराने व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये जाने की अधिकारी हैं। अतः यह तनकी वादीया के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं।

तनकी नम्बर 02 :– तनकी नम्बर 01 में दिये गये वर्णन से यह स्पष्ट है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 624 दिनांक 11.01.2007 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विरूद्ध होने के कारण प्रभाव शून्य है लेकिन प्रतिवादी नम्बर 03 के हक में दिनांक 24.05.2007 को किया गया विक्रय पत्र पूर्णतः अवैध एवं प्रभावहीन नहीं है क्योकि विवादित खसरा नम्बर 66 व 82 कुल किता 02 रकबा 19 बिस्वा का लिखा गया उक्त विक्रय पत्र भौंदू पुत्र उंकारया के 1/2 हिस्से तक पूर्णतः वैध है जबकि नामान्तरकरण संख्या 624 के प्रभावहीन होने के कारण शेष 1/2 हिस्सा जो कि पूर्व में हीरया के नाम पर दर्ज था का विक्रय प्रभावहीन एवं शुरू से ही शून्य हैं। अतः यह तनकी आशिंक रूप से वादिया के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं।

तनकी नम्बर 03 :–इस तनकी का निर्णय तनकी नम्बर 01 के विवेचन मे समाहित हैं ।

तनकी नम्बर 04 :– प्रतिवादी नम्बर 03 यह साबित करने में असफल रहा है कि वादिया भौरी हीरया की विधवा पत्नि नहीं हैं न ही यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि विवादित आराजीयात पर हीरया की मृत्यू के पश्चात् वादिया का कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 03 निर्णीत की जाती हैं।

तनकी नम्बर 05 :–माननीय सिविल न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को फर्जी खातेदार बनकर रजिस्ट्री कराने, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति से रजिस्ट्री कराने तथा किसी भोले वाले व्यक्ति को बहला फुसलाकर मादक पदार्थ पिलाकर बिना कीमत अदा किये रजिस्ट्री कराने के आधार पर विक्रय पत्र को अवैध एवं प्रभाव शून्य, घोषित करने का अधिकार हैं। उक्त प्रकरण उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी का नहीं हैं। यह मामला वादिया के पति की भूमि पर वादिया के अधिकार को लेकर हैं। तनकी नम्बर

Scanned by CamScanner

01 के विवेचन में यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 624 कानूनी रूप से गलत उत्तराधिकारियों के पक्ष में खोला गया है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हीरया की बेवा भौरी ही उसकी एक मात्र वारिस थी तथा उसी के नाम पर नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए था। अतः उक्त नामान्तरकरण के प्रभाव शून्य होने के कारण इसके आधार पर दर्ज खातेदारों द्वारा की गई समस्त कार्यवाहियॉ स्वतः ही प्रभाव शून्य हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 03 निर्णीत की जाती हैं ।

तनकी नम्बर 06 :– प्रतिवादी संख्या 03 का विवादित आराजी खसरा नम्बर 66, 82 का विकय पत्र भौंदू पुत्र उंकारया के 1/2 हिस्से तक पूर्णतया वैध है। अतः वह वादिया प्रतिवादी संख्या 01, 02 को उपरोक्त 02 खसरा नम्बरों के 1/2 हिस्से की भूमि पर स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी हैं । अतः यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी 03 के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं ।

तनकी नं0 07 :– प्रतिवादी नं0 3 का विवादित आराजी खसरा नं0 66 व 82 का विक्रय पत्र भौंदू पुत्र ऊंकारया के 1/2 तक पूर्णतः वैध है। अतः प्रतिवादी नं0 3 का काउन्टर क्लेम आशिंक रूप से सही तथ्यों पर आधारित हैं इसलिए यह तनकी विरूद्ध वादिया आंशिक रूप से निर्णीत की जाती हैं।

तनकी नं0 8 अनुतोषः– उपरोक्त तनकी वाईज विवेचन से उक्त दावा वादिया के पक्ष में डिकी किये जाने एवं प्रतिवादी सं0 3 का काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः दावे में वर्णित विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में निम्नानुसार दावा वादीया डिकी किया जाता हैं तथा प्रतिवादी सं0 3 का काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैः–

1. विवादित आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 715 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 718 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 02 बीधा 11 बिस्वा की 1/2 हिस्से की वादिया भौरी बेवा हीरया जाति कुम्हार निवासी जाखौदा (रानीपुरा) तहसील सपोटरा को खातेदार घोषित किया जाता हैं।
2. विवादित आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 19 बिस्वा में प्रतिवादी नम्बर 03 कमोदीलाल पुत्र हजारी जाति कुम्हार निवासी जाखौदा मजरा रानीपुरा तहसील सपोटरा को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं।
3. विवादित आराजी खसरा नम्बर 715 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 718 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का प्रतिवादी नम्बर 01 भौदू पुत्र उंकारया जाति कुम्हार निवासी जाखौदा को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं ।
4. वादीया व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार एक दूसरे के हिस्से मे काश्त करने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना तो स्वयं करे और ना ही किसी दीगर से करावे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner